

प्रेषक,

कै०के०सिन्हा,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बांदा, अलीगढ़, बलिया, फतेहपुर तथा रायबरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु०-2,15,00,000/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार आपके जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क०सं०	जनपद का नाम	धनराशि (रु० में)	जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र
1.	बाँदा	50,00,000/-	179/दैवीआपदा-बजट दिनांक-16.08.2011
2.	अलीगढ़	60,00,000/-	1073(1)/दै०आ०-2010-11 दिनांक-19.0.8.2011
3.	बलिया	50,00,000/-	762/दै०आ० दिनांक-16.08.2011
4.	फतेहपुर	25,00,000/-	2423/13-विविध/11-12/सी०आर०ए फ० दिनांक-12.08.2011
5.	रायबरेली	30,00,000/-	399/सीआरए-दैवी आपदा/11 दिनांक 15 अगस्त, 2011
	कुल योग -	2,15,00,000/-	

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/ 1-11- 2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाये। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाये कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चकवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाये। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक-31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक-24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रुपये 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रुपये 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।
6. राहत वितरण की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर www.rahataup.nic.in/rahata2.html पर

भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हों, तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाये।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(के०के०सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

९८

संख्या-2602(1)/1-10-2011-33(102)/2011

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम, बांदा, अलीगढ़, आजमगढ़ इलाहाबाद, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बांदा, अलीगढ़, बलिया, फतेहपुर, रायबरेली।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के०के०सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

९८